न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

निगरानी प्रकरण क्र. निग-2851-I/16

श्यामबाई पत्नी अर्जुन अहिरवार निवासी
बुड़ेरा तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ़ म.प्र.

...निगराकार

बनाम

शासन मध्यप्रदेश

...प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

प्रस्तुत निगरानी आदेश दिनांक 20.07.2016 प्रकरण क्रमांक-41-अपील/2015-16 अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ म.प्र.

महोदय,

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार की ओर से विनय इस प्रकार है:-

(1) यह कि भूमि स्थित ग्राम बुड़ेरा खसरा क्रमांक-
एकड़ रकबा निगराकार कीपैत्रिक भूमि है जिसे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़ागांव द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 36बी/121/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2010 के द्वारा उक्त भूमि को शासकीय घोषित कर दिया गया जिसे एक सामुहिक प्रकरण अन्य लोगो के साथ बनाया जाकर निर्णीत किया गया ।

(2) यह कि निगराकार की स्थिति उक्त समूह मेंसामुहिक प्रकरण से भिन्न है जिसमे भूमि निगराकार को उत्तराधिकार मे प्राप्त हुयी । उक्त भूमि का व्यवस्थापन में दुर्जन अहिरवार के नाम से किया गया उसकी मृत्यु उपरांत निगराकार को प्राप्त हुयी । जिसे शासकीय घोषित करना विधि सम्मत एवं न्यायोचित नही हैं ।

(3) यह कि सामुहिक अपीलें पेश की गयी जिसे निगराकार द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील पेशनही की गयी इस तरह निगराकार को ..

Xx..x(a)-BR(h)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण कमांक 2851–एक/2016 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
6–01–2017	यह निगरानी आवेदक के अभिभाषक ने तहसीलदार बड़ागॉव धसान के प्रकरण कमांक 36 बी–121/ 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 21–5–2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर वस्तुस्थिति यह है कि ग्राम बुडेरा तहसील बड़ागॉव की भूमि सर्वे नंबर 1646/1 , 1646/1/2 रकबा 1.00 हैक्टर महिला श्यामवाई पत्नि अर्जुन अहिरवार को विरासत में प्राप्त हुई है। यह भूमि आवेदिका के पति के स्वत्व एंव स्वामित्व पर दर्ज रही है। ग्राम पंचायत व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 10 पर आदेश दिनांक 10–2–2004 से आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ है। तहसीलदार बड़ागॉव व्दारा प्रकरण कमांक 36 बी–121/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 21–5–2010 के अनुसार ग्राम बुड़ेरा में हुये पटटों की सूची को आधार बनाकर सूची के सरल कमांक 18 पर आवेदिका

का नाम लिख दिया गया एंव उसे विरासत में प्राप्त भूमि को पटटे की भूमि मानते हुये कार्यवाही की गई है। जब आवेदिका को वादग्रस्त भूमि उत्तराधिकारिता में प्राप्त है। ऐसी वाद विचारित भूमि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 164 से न्यायगमित रहेगी । जैसाकि वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय पति के स्थान पर आवेदिका के नाम हुई है एंव तद्नुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर से आवेदिका का नाम विलोपित करना न्यायसंगत नहीं है जब तक अन्यथा प्रमाणित न हो जाय।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार बड़ागॉव व्दारा प्रकरण कमांक 36/बी–121/2009–10 में पारित आदेश दिनॉक 21–5–2010 (सूची का सरल कमांक 18) आवेदिका के हित तक दूषित पाये जाने से ऑशतः निरस्त जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि आवेदिका के नाम की प्रविष्टि भूमि सर्वे कमांक 1646/1/2 पर पूर्वानुसार दर्ज करते हुये कम्प्यूटराईज्ड खसरे में भी दर्ज कराई जावे ।

सदस्य